2022/168

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

गौरी देवी बनाम भगवान सहाय

मुकदमा संख्या / वर्ष 75/22 /20

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	1.11.22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन एवं वकील उभय पक्ष की उक्त प्रार्थनापत्र पर की गयी बहस पर मनन करने के पश्चात वादग्रस्त भूमि ख.नं. $\frac{194}{1}$, $\frac{21}{2}$, 27, $\frac{87}{1}$ कुल किता 4 कुल रकबा 1.5300 हैक्टेयर स्थित ग्राम हाथीपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में प्रार्थिया अप्रार्थी संख्या 1 की एक मात्र पुत्री संतान है उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थिया के पिता भगवान को विरासत में अपने पुर्वजान से प्राप्त पैतृक भूमि है। जिसमें प्रार्थिया के जन्म से हित व अधिकार निहित चले आ रहे है अर्थात ~~प्रार्थी~~ प्रार्थिया का ज्यों ही अप्रार्थी सं.1 के परिवार में जन्म हुआ त्योंही प्रार्थिया के कोई वर्ष राइट भूमि वादग्रस्त में सृजित हो गये तथा (हस्ताक्षर)	

2022/168

क्र सं	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि
		पैतृक व संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पत्ति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार प्रार्थिया, भूमि वाद ग्रस्त में 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार हो गयी। भूमि वाद ग्रस्त की खातेदारी हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है अप्रार्थी सं.1 प्रार्थिया का पिता है लेकिन अप्रार्थी सं.1 नशे का आदी होने से प्रार्थिया की पैतृक भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है क्योंकि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार अप्रार्थी सं.1 के द्वारा दौराने वाद दिनांक 21.7.22 को उप पंजीयक बस्सी के यहां उक्त वाद ग्रस्त भूमि का बनवारीलाल पुत्र रामकिशन गुर्जर निवासी हाथी पुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के हक में उपहार पत्र रजिस्टर्ड करवा दिया गया है जिससे प्रार्थिया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है अप्रार्थी सं.1 के	

2022/168

फर्द अहकाम

न्यायालय: सहायक कलक्टर [illegible]

मोटी देवी बनाम भगवान सहाय

मुकदमा संख्या / वर्ष 75/22 /20

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		द्वारा किये गये उपहार पत्र के आधार पर उपहार ग्रहिता द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को अन्य को बेचान, हस्तान्तरण रहन इत्यादि कर दिया जाता है तो प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं हो पावेगी। यदि अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया तो सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में न होकर प्रार्थिया के पक्ष में रहेगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थी के पक्ष में न होकर प्रार्थिया के पक्ष में होने से प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दौराने दावा हुए रजिस्टर्ड उपहारपत्र के आधार पर ~~इन्द्राज को~~ राजस्व रिकार्ड में हुए इन्द्राज के कारण मूल वाद के निर्णय तक राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का फेरबदल न करे अर्थात	

2022/168

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		अर्थात राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे तथा उक्त वाद ग्रस्त भूमि का न तो हस्तान्तरण करे नाही विक्रय करे एवं नाहि रहन रखे। ना ही प्रार्थिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करे। उक्त कार्य न स्वयं करे नाही अन्य से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील मूल वाद के साथ सम्मिलित हो। [signature]